महाविद्यालय के सामान्य निर्देश

महाविद्यालय आपका अपना है। इसकी विशिष्ट गरिमा, परम्पराएं एवं मान्यताएँ हैं, जिनकी रक्षा करना, पालन करना और सम्मान करना आपका परम कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है। सदाचार एवं सद्‌व्यवहार से महा विद्यालय में सौहार्द का ऐसा वातावरण बनाएं जिससे आपको प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियो से सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहे। महा विद्यालय के भवन एवं संपत्ति के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें।

कार्यालय द्वारा प्रसारित सूचना में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। प्राचार्य एवं अनुशासन समिति के तत्कालीन निर्णयानुसार महा विद्यालय की नियमावलियों में संशोधन हो सकता है, जिसकी सूचना निर्दिष्ट की जाएगी।

विश्वविद्यालय के मानक के अनुसार महा विद्यालय में प्रतीक छात्र छात्राओं की। 75% उपस्थिति अनिवार्य है। मानक के अनुरूप उपस्थिति नहीं होने पर विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

कार्यालय सामान्य निर्देश

कार्यालय समबन्धि निर्देश

1. **छात्र और छात्राओं के लिए महाविद्यालय के कार्यालय और काउंटर का समय प्रातः 10:00 AM बजे से 4:00PM बजे तक है|**
2. **सभी छात्र एवं छात्राएं महाविद्यालय कार्यालय संबंधी अपना कार्य काउंटर के माध्यम से ही करेंगे तथा बिना आज्ञा लिए कार्यालय के अंदर नहीं जाएंगे |**
3. **महाविद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं काउंटर अथवा लिपिक द्वारा अपना कार्य स्वयं ही कराएंगे, तथा परीक्षा फॉर्म, छात्रवृत्ति फार्म आदि स्वयं ही महाविद्यालय में आकर जमा करेंगे |**

प्रवेश संबंधी सामान्य नियम

एम. एल. एस. ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन में विद्यार्थियों का प्रवेश, प्रवेश समिति की संस्तुति एवं अनुशासन अधिकारी की सहमति एवं प्राचार्य के अनुमोदन के बाद होता है | इस संदर्भ में कुछ सामान्य नियम निम्नांकित है -

- **महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सभी जाति वर्ग एवं समुदाय लिंग तथा धर्म के लोगों का सामान्य अधिकार है |**
- **महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश आवेदन फॉर्म भरना अनिवार्य है जिसे महाविद्यालय के संबंध काउंटर से सुबह 10:00AM से शाम 4:00PM बजे तक प्राप्त किया जा सकता है |**
- **प्रवेश की इच्छुक छात्र-छात्राओं को आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक सूचनाओं एवं प्रमाण पत्र के साथ अंतिम तिथि के पहले कार्यालय में जमा करना होता है|**
- **प्रवेश फार्म की जांच प्रवेश समिति के समक्ष होती है, इसके बाद अभ्यर्थी यदि अर्ह पाया जाता है तो उसके प्रवेश की संस्तुति प्रदान कर दी जाती है | अभ्यर्थी को कार्यालय में शुल्क जमा कर प्रवेश को पूर्ण करने का निर्देश दिया जाता है |**
- **प्रवेश के समय यदि कोई छात्र टी. सी. (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) / माइग्रेशन (प्रवजन प्रमाण पत्र) या आवश्यक प्रपत्र नहीं लगता है तो 30 दिन के बाद उसका प्रवेश निरस्त माना जाएगा |**

स्थानांतरण परिस्थितियों केवल दो शर्तों पर संभव है |

(क) प्रचार एवं विश्वविद्यालय की अनुमति पर |

(ख) स्वत: स्थानांतरण की स्थिति पर |

- **महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम शुल्क प्रक्रिया संपूर्ण विद्यार्थी पर एक साथ प्रभावी होगा |**
- **पुस्तकालय सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय कार्ड लेना आवश्यक है |**

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

क्रम सं0	कोर्स	योग्यता	अवधि	विषय
1	बी.ए. कला संकाय	इंटरमीडिएट	3 वर्ष 6 सेमेस्टर	इंग्लिश, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान
2	बी.एस.सी. कृषि संकाय	इंटरमीडिएट	4 वर्ष 8 सेमेस्टर	बी.एस.सी. कृषि संकाय सभी विषय

संचालित पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण

क्रम सं0	कोर्स	शुल्क विवरण वर्ष/सेमेस्टर
1	बी.ए. प्रथम वर्ष	5000/ वर्ष
	बी.ए. द्वितीय वर्ष	5000/ वर्ष
	बी.ए. तृतीय वर्ष	5000/ वर्ष
2	बी.एस.सी. कृषि प्रथम वर्ष	18000/ वर्ष
	बी.एस.सी. कृषि द्वितीय वर्ष	18000/ वर्ष
	बी.एस.सी. कृषि तृतीय वर्ष	18000/ वर्ष
	बी.एस.सी. कृषि चतुर्थ वर्ष	18000/ वर्ष

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं

1. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्लासरूम |
2. महाविद्यालय में संकायवार अलग-अलग प्रयोगशालाओं और लैब की सुविधा |
3. महाविद्यालय में उच्च सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा |
4. महाविद्यालय में बोटैनिकल ग्राउंड की उपलब्धता |
5. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इंडोर, आउटडोर सभागार (ऑडिटोरियम) |
6. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इनडोर आउटडोर स्टेडियम |
7. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट क्लास की व्यवस्था |
8. महाविद्यालय में अत्यधिकसुविधाओं से युक्त फ्री वाई-फाई इंटरनेट की सुविधा |
9. महाविद्यालय में कुछ महत्वपूर्ण संकायों में एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण की विशेष व्यवस्था |
10. छात्रों के लिए अलग वातानुकूलित कॉमन रूम की व्यवस्था |
11. महाविद्यालय में चारों तरफ सी.सी.टी.वी. कैमरा की व्यवस्था |
12. महाविद्यालय में स्वच्छ पेयजल आर. ओ. की व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं से युक्त जलपान गृह की व्यवस्था |
13. महाविद्यालय में इंटरनेट और कंप्यूटर लैब की सुविधा |
14. महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल से संबंधित सामानों की उपलब्धता |

पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय में सुसज्जित संपन्न एवं समृद्ध पुस्तकालय तथा वाचनालय है इसमें दुर्लभ पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ, शोध ग्रंथ एवं पाठ्य पुस्तक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं | विभिन्न विषयों से संबंधित पत्रिका पांच दैनिक समाचार पत्र, शोध पत्रिकाएं तथा कई मासिक व साप्ताहिक पत्रिकाएं भी आती हैं |
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा को पुस्तकालय में प्रवेश रसीद की मूल प्रति दिखाकर प्रवेश लेने के एक माह के अंदर पुस्तकालय कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा | जिससे यथाशीघ्र वह पुस्तकालय से अपने विषय की उपयोगी पुस्तक प्राप्त कर के लाभान्वित हो सके |
3. छात्र-छात्राएं अपने पास एक सप्ताह से अधिक समय तक पुस्तक नहीं रख सकता / सकती है
4. छात्र-छात्राएं अपनी पुस्तकालय कार्ड पर पुस्तक निर्गत होने एवं जमा होने की तिथि अवश्य अंकित करें |
5. निर्धारित समय सीमा से अधिक समय पुस्तक के पास रखने पर उसे प्रति पुस्तक ₹1 प्रतिदिन विलंब शुल्क जमा करना होगा |
6. पुस्तकालय कार्ड खो जाने की दशा में छात्र-छात्रा प्रार्थना पत्र पर पुस्तकालय अध्यक्ष की आख्या व प्राचार्य की संस्कृति के उपरांत कार्यालय में निर्धारित शुल्क रुपए 50 मंत्र जमा कर द्वितीय पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर सकता/ सकती है |
7. पुस्तक खो जाने की दशा में छात्र-छात्रा को प्रार्थना पत्र पर पुस्तकालय अध्यक्ष कीआख्या व प्राचार्य की संस्तुति के उपरांत कार्यालय में पुस्तक का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा |
8. पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के निर्देशों / आदेशों का पालन करना अनिवार्य है|

9. अनुशासनहीनता की दशा में आपको महाविद्यालय नियमों के अधीन दंडित किया जा सकता है |

10. पुस्तकों का सुरक्षित उपयोग छात्र/छात्राओं का नैतिक कर्तव्य है उसके कटी-फटी, गन्दी, निशान लगी पाई जाने पर पुस्तक का वर्तमान मूल्य छात्र/छात्राओं से दंड स्वरूप लिया जाएगा |

सूचनाओं का प्रदर्शन (नोटिस बोर्ड)

महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की गतिविधियों से संबंधित सभी जरूरी सूचनाओं महाविद्यालय की सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट https://mlscollege.co.in/index.html पर प्रदर्शित की जाएगी | छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वह सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट https://mlscollege.co.in/index.html पर प्रदर्शित सूचनाओं को नियमित रूप से पढ़ें तथा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करें |

क्रीड़ा और शिक्षणेत्तर कार्यक्रम

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के शारीरिक शास्त्र एवं मानव विकास के लिए यहां वॉलीबॉल, होकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी एवं एथलेटिक्स आदि खेल की सुविधा है |

महाविद्यालय की ओर से प्रतिवर्ष विषयों के छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षिक पर्यटन की व्यवस्था की जाती है विद्यार्थी की कलात्मक रुचि लेखन एवं अन्य गुना के विकसित करने के लिए महाविद्यालय संस्कृत परिषद का गठन किया गया है जिसके द्वारा समय-समय पर विभिन्न एक आयोजित किए जाते हैं |

महाविद्यालय की ओर से छात्र एवं छात्राओं को शिक्षनेत्तर एवं सहपाठ्यगामी कार्यकलापों में अपनी अभिरुचि व प्रतिभा के अनुसार विविध प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है महाविद्यालय में सेवा योजना और रेड रिवन जैसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराए जाते हैं | महाविद्यालय में क्रीड़ा की उचित व्यवस्था है यहां क्रीडा सप्ताह मनाए जाने के साथ भिन्न अंतर महालय की कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में अंतर महाविद्यालय विवाद व भाषण परियोगताओं के साथ संस्कृत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि छात्र एवं छात्राओं की अंतर्मुखी प्रतिभा को निखरने का उपयुक्त मंच मिल सके |

छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

एम. एल .एस. ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशनसमय-समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान करता हैजिसकी पात्रता पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नवत है-

अनुसूचितजाति जनजाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है इसके लिए संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र संलग्न करके निर्धारित समय अवधि में महाविद्यालय में जमा करना होगा |

छात्रवृत्ति से संबंधित आवश्यक दस्तावेज दो प्रति में जमा करना होगा

1. **एक छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन की हार्ड कॉपी |**
2. **हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति |**
3. **इंटरमीडिएट की अंक पत्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति |**
4. **स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति |**
5. **निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति |**
6. **जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति (OBC/SC/ST) आवेदकों के लिए |**
7. **आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति |**
8. **बैंक पासबुक की छाया प्रति |**
9. **पासपोर्ट साइज फोटो |**

अनुशासन सम्बन्धी नियम

1. सभी छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर आना अनिवार्य है अन्य कोई ड्रेस पहनना वर्जित है
2. महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र सदैव अपने साथ रखना अनिवार्य है
3. महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक इधर-उधर घूमना वर्जित है
4. महाविद्यालय भवन एवं संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं दीवारों और फर्नीचरों को गंदा ना करें परिसर में पान मसाला तंबाकू सिगरेट या किसी मादक पदार्थ का प्रयोग सर्वार्थ निषिद्ध है
5. किसी कार्य के लिए स्वयं ही संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी से मिले इस हेतु किसी की सिफारिश या दबाव का प्रयोग ना करें
6. अगर कोई छात्र-छात्रा धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही या अर्थ दंड या दोनों हो सकता है
7. किसी भी छात्र-छात्रा को दो बार चेतावनी के बाद उसके द्वारा किए गए अशोभनीय क्रियाकलापों का चरित्र प्रमाण पत्र में अंकित कर दिया जाएगा
8. कक्षा में मोबाइल फोन लेकर बैठना वर्जित है निरीक्षण के दौरान पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही होगी
9. महाविद्यालय में मारपीट करने महाविद्यालय संपत्ति को क्षति पहुंचाने जैसी घटना में लिप्त पाए जाने पर तत्काल महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा

10. प्रत्येक छात्र-छात्रा को महाविद्यालय में अपने साथ चयनित विषयों से संबंधित आवश्यक पाठ्य सामग्री को लाना अनिवार्य है

11. परिचय पत्र न होने पर विद्यार्थी महाविद्यालय से कोई प्रमाण पत्र या सुविधा नहीं पा सकेगा

12. महाविद्यालय की विवरणिका में दिए गए नियम एवं विधि में किसी प्रकार का परिवर्तन तथा नए नियम एवं विधि लागू करने के समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है जिसे कानूनी रूप से किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है

13. किसी विद्यार्थी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार अनुशासनहीनता की प्रकृति एवं क्रूरता के अनुरूप उसे निम्न में से एक या एक से अधिक दंड दिया जा सकता है-

क . चेतावनी ख. अर्थदंड ग. वित्तीय एवं अन्य आवश्यकतानुसार सुविधाओं से वंचित किया जाना

घ . निलंबन ङ. निष्कासन च. निस्सारण (रेस्टीकेशन)

विशेष:- दंड देने में निर्धारित क्रम की बाध्यता नहीं होगी |

महाविद्यालय संपर्क सूत्र

एम. एल. एस. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन

सम्बद्ध :- डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ० प्र०)

पिन- 224119

✆ **8081261007, 8953034034, 8052058008**

✉ mlscol8008@gmail.com

✉ help.mlscollege86@gmail.com

✉ help.mlscollege@gmail.com

Website-

https://mlscollege.co.in/